

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

आदेश

परीक्षा नियंत्रक, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची ने अपने पत्रांक-768 दिनांक-10.07.2023 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS, BDS एवं BHMS पाठ्यक्रम में दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन के निमित्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु राज्य के किसी एक चिकित्सा केन्द्र को प्राधिकृत करने के संबंध में लिये जाने वाले निर्णय से पर्षद को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान में PWD Certificate (निःशक्तता प्रमाण-पत्र) जिला स्तर पर सिविल सर्जन द्वारा गठित बोर्ड द्वारा निर्गत होता है। मानक के अनुरूप प्रमाण-पत्र नहीं होने पर उनका बोर्ड द्वारा पुनः विचार कर उच्चतर संस्थान रिम्स, राँची भेजा जाता है, जिसके कारण अभ्यर्थियों एवं कॉलेजों को परेशानी होती है। निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा भी यह प्रतिवेदित किया गया है कि All India Quota में चयनित अभ्यर्थियों को PWD Certificate भी Medical Counselling Committee, New Delhi (MCC) द्वारा निर्धारित कॉलेजों एवं अस्पतालों से किया जाता है।

सम्यक विचारोपरांत परीक्षा नियंत्रक, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किये गये अनुरोध एवं निदेशक, चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS, BDS एवं BHMS पाठ्यक्रम में दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु रिम्स, राँची को प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।



(आलोक त्रिवेदी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 9/नामांकन-02-01/2023 - 428(9)

राँची, दिनांक : 29.08.2023

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, रिम्स, राँची / प्राचार्य/अधीक्षक एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जमशेदपुर/शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद / शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग / मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पलामू / फुलो-झानों चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल दुमका / परीक्षा नियंत्रक, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची एवं झारखंड राज्य के सभी सिविल सर्जन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव